GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 11, 2026

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.2(97)FD/Tax/2010-11 dated 25.04.2011 and F.4(2)FD/Tax/2024-93 dated 10.07.2024, the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that the stamp duty and registration fee chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 and 4 respectively of the said table:-

Table

S. No.	Description of Instrument	Stamp Duty	Registration Fee
1	2	3	4
1.	Debt assignment executed in respect of performing assets (standard assets)	0.25 percent of the amount of debt subject to maximum of rupees one lakh.	0.5 percent of the amount of debt subject to maximum of rupees one lakh.
2.	Security receipts issued under sub-section (1) and (2) of section 7 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Central Act No. 54 of 2002)	0.25 percent of the amount of Net Asset Value subject to maximum of rupees one lakh.	0.5 percent of the amount of Net Asset Value subject to maximum of rupees one lakh.
3.	Instruments specified in clause (d) of Article 5 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees one lakh.
4.	Instruments specified in Article 6 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount of loan or debt subject to maximum of rupees one lakh.
5.	Instruments specified in sub-clause (ii) of clause (b) of Article 30 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount of further charge secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount of further charge secured subject to maximum of rupees one lakh.
6.	Instruments specified in clause (b) of Article 37 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount secured subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount secured subject to maximum of rupees one lakh.

7.	Instruments specified in Article 50 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998	0.25 percent of the amount secured and/or of the market value of the property mortgaged subject to maximum of rupees fifteen lakh.	0.5 percent of the amount secured and/or of the market value of the property mortgaged subject to maximum of rupees one lakh.
8.	Any instrument specified in column number 2 against serial number 3, 4, 5, 6 and 7 above, if executed in favour of Micro, Small or Medium Enterprises	Half of the rate as specified in column number 3 for the instruments mentioned in column number 2 against serial number 3, 4, 5, 6 or 7 respectively subject to maximum of rupees ten lakh.	0.5 percent of the amount on which stamp duty is charged on the instruments mentioned in column number 2 against serial number 3, 4, 5, 6 or 7 respectively subject to maximum of rupees one lakh.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-128]
By order of the Governor,

(Nathmal Didel)
Special Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 11, 2026

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(97)वित्त/कर/2010-11 दिनांक 25.04.2011 और प.4(2)वित्त/कर/2024-93 दिनांक 10.07.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक क्रमशः 3 और 4 में उनके प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित की जायेगी:-

सारणी

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क	रजिस्ट्रीकरण फीस
1	2	3	4
1.	संपादन आस्तियों (मानक आस्तियां) के संबंध में निष्पादित ऋण समनुदेशन	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऋण की रकम का 0.5 प्रतिशत।
2.	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन जारी की गयी प्रतिभूति रसीदें	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए सकल आस्ति मूल्य की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए सकल आस्ति मूल्य की रकम का 0.5 प्रतिशत।
3.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पन्द्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.5 प्रतिशत।
4.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 6 में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.5 प्रतिशत।

5.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 30 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त प्रभार की रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त प्रभार की रकम का 0.5 प्रतिशत।
6.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.5 प्रतिशत।
7.	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 50 में विनिर्दिष्ट लिखतें	अधिकतम पंद्रह लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम और/या बंधकित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.25 प्रतिशत।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम और/या बंधकित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत।
8.	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 3, 4, 5, 6 और 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट कोई लिखत, यदि सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के पक्ष में निष्पादित की गयी है।	अधिकतम दस लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए क्रम संख्यांक क्रमशः 3, 4, 5, 6 या 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित लिखतों के लिए स्तम्भ संख्यांक 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर का आधा।	अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए क्रम संख्यांक क्रमशः 3, 4, 5, 6 या 7 के सामने स्तम्भ संख्याक 2 में उल्लिखित लिखतों की रकम, जिस पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है, का 0.5 प्रतिशत।

[प.4(2)वित्त/कर/2026-128]

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव।